

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-335/2019

राजहंस पासवान

..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

..... उत्तरदातागण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री विकाश कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :

03/दिनांक 06 सितंबर, 2019

याचिकाकर्ता ने यह सी०एम०पी०, डब्ल्यू०पी० (एस०) सं० 6237/2013 को अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापन हेतु दायर किया है, जिसे दिनांक 08.02.2017 को अनुल्लंघनीय आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण दिनांक 08.03.2017 को खारिज कर दिया गया है।

सी०एम०पी० में बताए गए कारणों के मद्देनजर डब्ल्यू०पी० (एस०) सं० 6237/2013 को अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया है, इस शर्त के अधीन कि रिट

याचिका में पहले पारित अनुल्लंघनीय आदेश का अनुपालन आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस न्यायालय के अनुल्लंघनीय आदेश दिनांक 08.02.2017 को पूर्वोक्त अवधि के भीतर अनुपालन नहीं किया जाता है, तो रिट याचिका को पुनःस्थापित नहीं किया जाएगा।

आई0ए0 सं0 4624/2019 का भी निपटारा किया गया।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)